भिवाड़ी में इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर

खैरथल/भिवाड़ी, (नि.सं.)। अलवर सांसद एवं केंद्रीय पर्यावरण, वन जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपनी लोकसभा क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 के कार्यक्रम शुभारंभ पर कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आत्मनिर्भरता को आवश्यक बताते हुए कहा कि स्वदेश का अर्थ केवल चरखे से केवल कपड़ा बनाना नहीं, बल्कि चरखे से चंद्रमा (अंतरिक्ष) तक पहुंचना है।

शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भिवाड़ी जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, जिला प्रशासन खैरथल-तिजारा एवं लघु उद्योग भारती के तत्वावधान में आयोजित हो रहे 12 वाँ इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 के कार्यक्रम शुभारंभ अवसर पर पहुंचे थे। यह आयोजन 19 से 21 सितम्बर 2025 तक किया जा रहा है। इस अवसर पर अखिल भारतीय संगठन मंत्री, लघु उद्योग भारती प्रकाशचंद व तिजारा विधायक महंत योगी बालक नाथ सहित भाजपा नेता व अधिकारी एवं उद्योगपति मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन, विचार एवं उपलब्धियों पर आधारित विशेष प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया और उसका अवलोकन भी किया।

अखिल भारतीय संगठन मंत्री, लघु उद्योग भारती प्रकाश चंद ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के सतत विकास के लिए नैतिकता और गुणवत्ता का समायोजन अत्यंत आवश्यक है। तिजारा विधायक महंत बालक नाथ योगी ने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से क्षेत्र के युवाओं को औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्मित उत्पादों की जानकारी मिलेगी, जिससे वे उद्योगों की कार्यप्रणाली को नजदीक से समझ सकेंगे। बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने भी संबोधित किया। मंत्री भूपेंद्र यादव ने रीको गेस्ट हाउस पर भिवाड़ी जलभराव की समस्या निस्तारण सहित अनेक मुद्दों पर उद्योगपतियों के साथ संवाद कर विस्तार से चर्चा की ओर समाधान कराने का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, उद्योग जगत से जुड़े लोग और लोग उपस्थित रहे। तिजारा विधायक महंत बालक नाथ योगी, बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी, लघु उद्योग भारती से सुधीर गर्ग, नरेश पारीक, एलएन गुप्ता, संदीप दायमा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

अवैध बजरी मामले में तीन गिरफ्तार

टोंक, (नि.सं.)। अवैध बजरी खनन व परिवहन की रोकथाम अभियान के तहत वृत्ताधिकारी टोंक राजेश विद्यार्थी के सुपरविजन में थानाधिकारी मेंहन्दवास ओमप्रकाश द्वारा गठित टीम ने कार्यवाही करते हुए ग्राम लक्ष्मीपुरा धाकडान में दो ट्रेक्टर-ट्रोली को अवैध बजरी परिवहन करते हुए जप्त किया जाकर ट्रेक्टर चालक सीताराम पुत्र फूलचंद नाथ उम्र 25 साल निवासी बिंजारी थाना नगरफोर्ट एवं दूसरा चालक नरेन्द्र उर्फ छोटू पुत्र श्यामसिंह राणावत उम्र 24 साल राजपूत निवासी बंथली थाना दूनी को गिरफ्तार किया है। डिग्गी थानाधिकारी सत्यनारायण के नेतृत्व में गठित थाना टीम ने अवैध बजरी से भरे एक ट्रेलर परिवहन करते जप्त कर चालक विष्णुलाल पुत्र घीसालाल नाई उम्र 32 साल निवासी सरसुन्दा थाना सरवाड अजमेर को गिरफ्तार किया गया।

ट्रैक्टर ट्रॉली ने बालिका को कुचला

दौसा, (नि.सं.)। सदर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत काली के दांतली गांव में पत्थरों से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली ने 5 वर्ष की बालिका को कुचल दिया। ग्रामीणों ने बताया की अर्पिता योगी पुत्री प्रकाश योगी उम्र 5 वर्ष राजकीय प्राथमिक विद्यालय दांतली पढ़ती थी छुट्टी होने के बाद वह घर को लौट रही थी।

तभी एक पत्थरों से भरीं हुईं ट्रैक्टर ट्रॉली तेज़ रफ़्तार से आई और बच्ची के पीछे से टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हो गई और उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां डाक्टरों ने जयपुर रैफर कर दिया। बच्ची जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में जिंदगी और मौत के बिच की जंग लड रही है है। इस दुर्घटना का सारा दृश्य दांतली में लगी हुई दुकानों के सीसी टीवी कैमरों में कैद हो गया। ग्रामीणों ने बताया की तीतरवाडा, रामबास बडोली आदि गांवों में अवैध खनन हो रहा है। आए दिन सड़क दुघर्टनाएं होती है। प्रशासन को अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

आवासन मंडल सचिव का स्वागत

जयपुर। शुक्रवार को गोपाल सिंह, आर.ए.एस. द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल में सचिव पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष दशरथ कुमार के नेतृत्व में संघ प्रतिनिधि मण्डल ने स्वागत किया।

प्रतिनिधि मण्डल में प्रदीप शर्मा, महासचिव, गोविन्द नाटाणी एवं रमेश चन्द शर्मा, संयुक्त महासचिव, मोहन सिंह, कोषाध्यक्ष, मो. युसुफ खान, कार्यालय सचिव, विनोद रावत, मुख्यालय सचिव, मधुर मलिक, पूर्व शाखा अध्यक्ष इत्यादि शामिल हुये।

खाद के लिए लोग परेशान

भरतपुर, (निस)। भरतपुर की क्रय विक्रय समिति पर डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खाद लेने के लिए किसान रात से ही लाइनों में लगे हुए हैं।

क्रय विक्रय समिति ने 50 हजार कट्टों की डिमांड भेजी है, लेकिन दो दिन में सिर्फ 2500 डीएपी कट्टे ही समिति पर आए हैं। क्रय विक्रय समिति के प्रभारी मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि 18 सितंबर को क्रय विक्रय समिति में 1900 बैग मिले थे। हर किसान को 5-5 कट्टों के हिसाब से कट्टे बांट दिए गए।

खनन से परेशानी

कोटपूतली, (नि.सं.)। ग्राम अजीतपुरा कुजोता संघर्ष समिति का धरना शुक्रवार को लगातार 39 वें दिन भी बदस्तुर जारी रहा। धरणार्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शुक्लावास के नेतृत्व में खान सुरक्षा विभाग अजमेर के निदेशक डॉ. आई. सत्यनारायण को नेशनल लाईमस्टोन कम्पनी की मनमानियों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। बताया कि आबादी, स्कूल, जोहड़, पेयजल टंकी व कचरा संग्रहण केंद्र के नजदीक ब्लास्टिंग एवं रात्रिकालीन खनन कार्य से आमजन परेशान हैं।

कार्यशाला का शुभारंभ

फुलेरा। भारतीय जनता पार्टी मंडल फुलेरा की ओर से गणगौरी बाजार स्थित श्रीरामद्वारा सभागार में बुधवार से सेवा पखवाड़ा की कार्यशाला का शुभारंभ फुलेरा मण्डल अध्यक्ष प्रणव अग्रवाल की अध्यक्षता में किया गया। अतिथि के रूप में मण्डल प्रवासी जिला मंत्री भाजपा जयपुर देहात दक्षिण देवव्रत चंदलाई व भाजपा जयपुर देहात दक्षिण के प्रवक्ता रतन राजौरा मौजूद रहे।

गोद भराई : चाकसू, (नि.सं.)। शहरी और ग्रामीण शिविर 2025 के दौरान आज चाकसू के वार्ड न 4,5 शिविर में महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक गर्भवती महिला मनीषा पत्नी की गोद भराई का कार्यक्रम करवाया। उचित खान-पान एवं पोषण की सलाह के साथ पोषाहार के पैकेट भी बांटे।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त संबंधित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I TRUST/2025/673

चूँकि प्रार्थी श्री MANOJ KUMAR AGARWAL, 16 AGARSEN COLONY BRAHAMPURI JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अंतर्गत प्रन्यास, दी.डी.ए.वी. मान्टेसरी स्कूल समिति जयपुर, 14, Inderpuri Colony, Brahampuri Khurra, Jaipur के संबंध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है, की वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख के साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गयी तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जायेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 18-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधिन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 21/11/2025
सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त संबंधित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I TRUST/2025/623

चूँकि प्रार्थी श्री DHAKA RAM SAPKOTA, S 2, KRISHNA RESIDENCY II MATHUR FARM HOUSE KALWAR ROAD JHOTWARA ROAD JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अंतर्गत प्रन्यास, आनन्दम योगापीस, BESMENT KRISHNA KRIPA 4 SHASTRI NAGAR BEHIND SCIENCE PARK JAIPUR के संबंध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है, की वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख के साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गयी तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जायेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 18-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधिन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 24/11/2025
सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त संबंधित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I TRUST/2025/642

चूँकि प्रार्थी श्री सुदेश शर्मा, प्लाट न. 11ए, सरस्वती कॉलोनी, सांगनेर, जयपुर 302029 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अर्न्तगत प्रन्यास, श्री स्वामी हरिदास संगीत संस्थान, प्लाट न. 11ए, सरस्वती कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर 302029 के संबंध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है, की वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख के साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गयी तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जायेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 18-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधिन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 27/11/2025
सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त संबंधित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I TRUST/2025/643

चूँकि प्रार्थी श्री मेघा भारती, 56, डिफेंस कॉलोनी, निवारू रोड, झोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान-302012 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अर्न्तगत प्रन्यास, मेहनतकश कल्याण एवं संदर्भ केन्द्र संस्था, 56, डिफेंस कॉलोनी, निवारू रोड, झोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान-302012 के संबंध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है, की वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख के साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गयी तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जायेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 18-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधिन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 26/11/2025
सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

नाम परिवर्तन

मै आर्मी नं- 15676367X रैंक-HAV चौधरी भारत रतन निवासी- गांव-खिर्डी, बाणगाव, तहसील- नांदगाव, नाशिक, महाराष्ट्र ने अपने सर्विस रिकॉर्ड में अपनी माताजी का नाम बिजलाबाई से बदलकर श्रीमती बिजलाबाई रतन चौधरी व जन्मतिथि 01-07-1959 से बदलकर 01-01-1963 कर ली है।

मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम जयन्ती रयाल अथवा जयन्ती प्रसाद अंकित है जो त्रुटिवश है। मेरा सही एवं पूर्ण नाम जयन्ती प्रसाद रयाल पुत्र श्री मित्रानन्द रयाल है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम से ही जाना जाये। पता-बी-3, फ्लैट नम्बर एस-1, श्री किशनपुरा, जगतपुरा एलीगेन्ट-3, जयपुर

मै ANUJ KUMAR GUPTA पुत्र केशव गोयल मेरे स्कूल दस्तावेज में भुलवश ANUJ KUMAR GOYAL हो गया यह नाम गलत है। सही नाम ANUJ KUMAR GUPTA है इसी नाम से जाना जावे।

हुकम सिंह शेखावत आर्मी नम्बर JC454713M मेरे आर्मी रिकॉर्ड मे मेरे पुत्र का नाम यशवर्धन सिंह अंकित है जो गलत है मेरे पुत्र का सही नाम यशवर्धन सिंह शेखावत है।

मैनें अपना नाम रोशनी से बदलकर रोशनी बेगम पत्नी श्री हारून अहमद निवास 1698 गुलाबसिंह की गली, कॉवटियों की पीपली, रामगंज बाजार, जयपुर रख लिया है, भविष्य में मुझे रोशनी बेगम के नाम से जाना पहचाना जावें।

मै सुभेदार लोहार सागर शामराव निवासी गांव- सिध्दनेर्ली, ता. कागल, जि. कोल्हापूर, महाराष्ट्र ने अपने पुत्र का नाम चिन्मय से बदलकर चिन्मय सागर लोहार कर लिया है। भविष्य मे मेरे पुत्र को चिन्मय सागर लोहार के नाम से जाना जाए।

मै सुभेदार लोहार सागर शामराव निवासी गांव-सिध्दनेर्ली, ता. कागल, जिला. कोल्हापूर, महाराष्ट्र ने अपने पुत्र का नाम कार्तिक से बदलकर कार्तिक सागर लोहार कर लिया है। भविष्य मे मेरे पुत्र को कार्तिक सागर लोहार के नाम से जाना जाए।

I have changed my name from Neeraj Bhagchandani to Neeraj Kumar Bhagchandani for my daughter's school documents and all future purposes. R/o- C-17A, Model Town, Malviya Nagar, Jaipur.

सूचना

मेरे अभिभाष्य जितेश कुमार जैन निवासी बी-150 मंगल मार्ग बापू नगर, जयपुर की पुत्री खुशी जैन उम्र 20 वर्ष जो कि मेरे अभिभाष्य के कहने में नहीं है मेरे अभिभाष्य ने सम्पूर्ण सम्पत्ति चल अचल जमीन जायजाद से बेदखल कर दिया है जो भी खुशी जैन से लेन देन व्यवहार करेगा चल व अचल सम्पत्ति जिसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी मेरे अभिभाष्य की नहीं होगी। सूचित रहे।
प्रमोद कुमार जैन, एडवोकेट, मो.9314963519

नाम व जन्मतिथि परिवर्तन की सूचना

महेंद्र कौर पत्नी हाकिम सिंह निवासी कारवारी तहसील बयाना जिला भरतपुर राज. मेरे पुत्र का नाम और जन्मतिथि क्रमशः कपिल गुर्जर 31.07.2008 है जो शैक्षणिक रिकॉर्ड मै गलत दर्ज है। मेरे पति हाकिम सिंह के सेना सर्विस रिकॉर्ड में नाम व जन्मतिथि कपिल व 31.08.2008 दर्ज है। जो सही है आज दिनांक से मेरे पुत्र को सही नाम कपिल एवं जन्मतिथि 31.08.2008 से पहचाना जाए शैक्षणिक दफ्तरों में ये सूचना नाम व जन्मतिथि शुद्धिकरण मै काम आवे। -महेंद्र कौर

राजस्थान आवास मंडल, वृत-तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
क्रमांक : 3148 दिनांक : 19.09.2025

आम जाहिर सूचना

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक : 10102 दिनांक 28.01.2014 जारी कर आवास संख्या-3/476 मालवीय नगर जयपुर, क्षेत्रफल 90.00 का हस्तानतरण श्री पवन शर्मा पुत्र स्व. श्री शेखर तैनगौर के पक्ष में किया गया था। श्री पवन शर्मा की मत्यु दिनांक 05/02/2022 को जाने के कारण श्रीमती राधा शर्मा पत्नी श्री पवन शर्मा के द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रशासनिक शुल्क की छाया प्रति, शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र क छाया प्रति प्रस्तुत कर उक्त आवास का नाम प्रतिस्थापन अपने पक्ष में करने का निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्रीमती राधा शर्मा पत्नी श्री पवन शर्मा के पक्ष में उक्त आवास के नाम प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी।
संपदा प्रबंधक, वृत्त तृतीय, रा.आ. मंडल, जयपुर

खोया पाया

मेरे प्लॉट 134, 141 विष्णु गार्डन, टोंक रोड, जयपुर AU Bank के से प्राप्त कब्जा पत्र व मानचित्र व सोसायटी पट्टे के कुल पांच मूल कागजात सोडाला के पास दिनांक 17/9/25 को गिर गए/गुम हो गए किसी सज्जन को मिले तो लौटाने का कष्ट करें। ओम प्रकाश शर्मा, 134, 141 विष्णु गार्डन, जयपुर, मो. 7976747513

मेरे मकान 1H66 इंदिरा गांधी नगर जयपुर का मूल अलॉटमेंट लेटर एवं अन्य कागज़ात जयपुर में कहीं गिर गए है मिलने पर सूचित करें- 9829260473

के.वी.2 का मूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र (2022), मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र खो गये मिलने पर सूचित करें। प्रियन्का यादव पुत्री श्री गौरीशंकर यादव, 8755149659

मेरे आवास संख्या 180/49, प्रताप नगर, सांगानेर का मूल पॉवर ऑफ अर्टोनी कहीं गिर/गुम हो गया है। मिलने पर सूचित करें- मुकेश नाथानी 8005928447

मेरे मकान सं. 261/189, प्रताप नगर, जयपुर का मूल मांग पत्र व मांग पत्र जमा रसीद कहीं गुम हो गयी है। मिलने पर सम्पर्क करें। लीला- 9782508915

मेरे मकान सं. 261/190, प्रताप नगर, जयपुर का मूल पत्र कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सम्पर्क करें। लीला- 9782508915

मेरी शिवा का-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड जयपुर प्लॉट नं. 11, भूदेव कॉलोनी, श्रीजी नगर, दुर्गापुरा, टोंक रोड, जयपुर द्वारा दिनांक 1.5.1981 को जारी पट्टे की रसीद दिनांक 19.9.2025 को दुर्गापुरा में कहीं खो गई है। मिलने पर सूचित करें। मंयक शर्मा, 9828130058

प्लॉट नम्बर ए-12, योजना श्याम नाथ तिवारी जी का बाग, आदर्श नगर, जयपुर की मूल रजिस्टर्ड मुख्यारनामा आम एवं मूल विक्रय पत्र 1/2 हिस्सा (श्रीमती कमला देवी) के हित में निष्पादित हुआ है गुम हो गये है। मिलने पर सम्पर्क करें। श्रीमती कमला देवी, मो.नं. 9785383979

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त संबंधित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I TRUST/2025/668

चूँकि प्रार्थी श्री MANOJ KUMAR AGARWAL, 16 AGRASAIN COLONY BRAHAMPURI JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अंतर्गत प्रन्यास, डी.ए.बी. प्री प्राइमरी स्कूल समिति जयपुर, 22 AGRASEN COLONY BRAHMPURI JAIPUR के संबंध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है, की वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख के साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गयी तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जायेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 18-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधिन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 21/11/2025
सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त संबंधित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I TRUST/2025/672

चूँकि प्रार्थी श्री NAVEEN BOHARA, BOHARA BHAWAN RAIGRO KA MOHILLA WARD 4 CHAKSU JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अंतर्गत प्रन्यास, श्री श्री 1008 भृतहरि जन्मधाम सेवा ट्रस्ट जोगावाड़ी, JOGAWADI CHAKSU JAIPUR के संबंध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है, की वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख के साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गयी तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जायेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 18-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधिन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 26/11/2025
सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त संबंधित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I TRUST/2025/636

चूँकि प्रार्थी श्री KAMAL KUMAR KOTHARI, 1012/5 JLN MARG NEAR POLICE MEMORIAL JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अंतर्गत प्रन्यास, जयपुर ज्वैलरी शो, TF-01 GOLDSOUK, JAGATPURA ROAD NEAR JAWAHAR CIRCLE, JAIPUR 302017 के संबंध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है, की वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख के साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गयी तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जायेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 18-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधिन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 24/11/2025
सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त संबंधित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I TRUST/2025/641

चूँकि प्रार्थी श्री SHANKAR LAL SOMANI, P 42 SOMANI HOUSE GULAB BARI JHOTWARA IND, AREA ROAD JHOTWARA JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अंतर्गत प्रन्यास, मोहनी देवी छगन लाल सोमानी फाउंडेशन, 42 GULAB BARI IND, AREA ROAD JHOTWARA JAIPUR KRISHNA KRIPA 4 SHASTRI NAGAR BEHIND SCIENCE PARK JAIPUR के संबंध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है, की वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख के साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गयी तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जायेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 18-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधिन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 27/11/2025
सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त संबंधित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I TRUST/2025/646

चूँकि प्रार्थी श्री SARVESH AGARWAL, B 202 RAJENDRA MARG JANTA STOR CIRCLE BAPU NAGAR JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अंतर्गत प्रन्यास, ए एच पी आई राजस्थान चेप्टर, RAJASTHAN HOSPITALS LIMITED, HOSPITAL ROAD, MILAP NAGAR, JLN MARG, JAIPUR 302018 RAJASTHAN के संबंध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है, की वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख के साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गयी तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जायेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 18-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधिन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 26/11/2025
सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
**(दे